(145)

न्यायालय म.प्र.राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांकः- /१३ निगरानी

R-565-PBR/13

मोहनलाल पिता गणपतजी जाति बलाई निवासी ग्राम शिवपुर तहसील व जिला रतलाम (म०प्र०)

.............आवेदक

विरूद्ध

विपिन पिता चुन्नीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम मलोड़ा तहसील बड़नगर जिला उज्जैन (म०प्र०)

...........अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा ५० म.प्र.भू.रां. संहिता विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के प्रकरण क्रमांक ३४/११.१२ अपील में पारित आदेश दिनांक २२/१२/१२ से असन्तुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनरीक्षण अन्दर अवधि प्रस्तुत करता है।

०१. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यध्यालय का आदेश विधि-विधान एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

०२. यह कि भू०राजस्व संहिता में हुए संशोधन अनुसार अपील न्यायालय को साक्ष लिये जाने का अधिकार है इस कारण से आवेदक ने अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर कथाकथित वसीयत की जांच हेन्ड राईटिंग एक्सपर्ट व फिंगर प्रिन्ट एक्सपर्ट से कराए जाने की मांग की जिसे बिना किसी उचित एवं वैध आधार के निरस्त करने में त्रुटि की है।

०३. यह कि अनावेदक द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा व अपील प्रस्तुत की परन्तु भूमि स्वामी रतनबाई द्वारा अपने जीवन काल में कोई वसीयत नहीं की हे तथा फर्जी अंगुठा निशानी लगाकर फर्जी वसीयत तैयार की गई है व एसी वसीयत के आधार पर नामान्तरण चाहा है जिसकी जांच की जाना आवश्यक है इस कारण से अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

०४. यह कि अपील न्यायालय को साक्ष लेने का अधिकार है इस कारण से विशेषज्ञ से जांच कराई जाने में अधीनस्थ न्यायालय को कोई एतराज व

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(28)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-868-पीबीआर/13 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक24.4.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	